राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2073/2008

केशुराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, छोटी सादड़ी, पंचायत समिति डूंगला, जिला चितौड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश मिणावाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में आदेश दिनांक 13.07.1982 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने अपनी सेवाएं नियमित करने हेतु एक अभ्यावेदन दिनांक 22.02.2001 को प्रेषित किया था। इसके पश्चात एक अन्य पत्र दिनांक 19.03.2001 को प्रेषित किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अक्टूबर, 2000 से वेतन देना बन्द कर दिया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पत्र दिनांक 26.08.2001 प्रेषित किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चिकारड़ा पंचायत समिति डूंगला जिला चितौड़गढ ने ग्राम विकास अधिकारी को सूचना प्रेषित की थी, जिससे स्पष्ट है कि अपलार्थी सितम्बर 2000 तक पार्टटाईम कर्मचारी के रूप में वेतन प्राप्त करता रहा। अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नहीं किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 497/2002 प्रस्तुत की है। उक्त रिट याचिका में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी को नियमित किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विचार में रखा जायें एवं उसके बकाया वेतन का भी भुगतान किया जावें। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की, जिस पर अपीलार्थी ने अवमानना याचिका संख्या 39/2005 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त

अवमानना याचिका आदेश दिनांक 19.04.2007 के द्वारा निस्तारित की गई, जिसमें यह माना कि पूर्व आदेश दिनांक 19.09.2003 की पालना हो चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाये कि अपीलार्थी की सेवाएं नियमित करें एवं अपीलार्थी को पारिणामिक लाभ प्रदान करें। साथ ही अपीलार्थी को अक्टूबर, 2000 से बकाया वेतन का भुगतान करें।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अंशकालीन कर्मचारी के पद पर की गई। अपीलार्थी को विधि अनुसार उसे देय वेतन का भुगतान किया जाता रहा है। अपीलार्थी की नियुक्ति पार्ट टाईम अंशकालीन कर्मचारी के पद पर की गई है वर्तमान अपील बिना किसी वाद कारण के होने से काबिल निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अक्टूबर 2000 से उसका वेतन बकाया बताया जा रहा है किन्तु इस संबध मे उसके द्वारा कोई विधिवत प्रार्थना अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया केवल उसके द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके वेतन में बढोतरी की जावे। यह तथ्य अपीलार्थी की अपील में संलग्न प्रदर्श से स्वतः ही प्रमाणित है। लबोलबाब उक्त अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने इस प्रकरण में अपनी सेवाएं नियमित करने की प्रार्थना की है। इसी अनुतोष के संबंध में अपीलार्थी ने पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 497/2002 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.09.2003 के द्वारा निम्न प्रकार से आदेश पारित किया थाः–

> "Resultantly, the writ Petition is allowed the respondents are directed to consider the case of the petitioner for regularisation on the post of class IV employee. Respondents are further directed to make payment of arrears of salary from October, 2000 and thereafter pay, the salary to the petitioner month by month. This exercise should be completed with three months from the date production of a certified copy of this order by the petitioner before the respodent authority. There shall be no order as to cost."

4. अतः इस प्रकरण में जो अनुतोष चाहा गया है, उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को आदेश जारी किया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं होने पर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 39/2005 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हो चुकी है। इस आधार पर यह अवमानना याचिका समाप्त की गई है। चूंकि

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में चाहे गये अनुतोष के बारे में आदेश पूर्व में पारित किया जा चुका है, जिसके संबंध में अवमानना याचिका में यह माना गया है कि आदेश की पालना हो चुकी है। ऐसे में अब कोई अनुतोष की मांग शेष नहीं रहती है।

5. परिणामस्वरूप यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)